# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

**पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस.**

राजस्व आवेदन संख्या 233 / 2022

| **प्रार्थीगण** | **बनाम** | **विप्रार्थीगण** |
|---|---|---|
| हरमल पुत्र राजा जाति पुरोहित निवासी मलखाडी तहसील सिणधरी | | 1. श्रीमान तहसीलदार (भू.अ.) सिणधरी |

**राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956**

उपस्थिति :–

1. श्री जोगराज पोटलिया वकील प्रार्थी उपस्थित।
2. नायब तहसीलदार (उपखण्ड कार्यालय)राज.पैरोकार विप्रार्थी सं. 1 की ओर से उपस्थित।

## आदेश

दिनांक– 14.12.2023

1.संक्षेप में आवेदन पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी का खेत मौजा राजस्व ग्राम–मलखाड़ी, पटवार हल्का–पायलां खुर्द में खेत खसरा संख्या 171 / 157 रकबा 14.0524 हैक्टेयर का आया हुआ है। जिसका नक्शा एवं नकल खतौनी संवत 2076 से 2079 की साथ पेश की जा रही है। मौके पर प्रार्थी का कब्जा काश्त अपने हिस्से की भूमि पर है जहा पर प्रार्थी के रहवासी मकान, ढाणिया, पानी का टांका और मन्दिर व टिन सेड आदि बने हुए है। कि प्रार्थी के द्वारा इसी खसरे में से चार बीघा भूमि का समर्पण राज्य सरकार के पक्ष में किया गया जिसका खसरा संख्या 156 / 116 रकबा 04–00 बीघा अर्थात 0.6472 हैक्टेयर जो नामान्तकरण संख्या 664 दिनाक–22–12–2021 को स्वीकृत किया गया और बाद में प्रार्थी के द्वारा उक्त समर्पण भूमि को कटाण मार्ग से जोड़ने के लिये अपने खसरा संख्या 157 / 116 मे से 0.0323 हैक्टेयर दिनांक 10–03– 2022 को समर्पण किया गया जिसका नामान्तकरण संख्या 682 दिनाक 30–03–2022 को स्वीकृत किया गया और नया खसरा संख्या 170 / 157 जारी किया गया। कि जो प्रार्थी के द्वारा चार बीघा भूमि का समर्पण राज्य सरकार के पक्ष में किया गया जो राजस्व रेकर्ड को ऑनलाईन करते वक्त उक्त खसरे की तरमीम को मौके व समर्पण पत्र में बताये गये नजरी नक्शा के अनुसार तरमीम को मौके पर बिना किसी प्रकार का नाप किये और मौके व कब्जा काश्त से अलग रुप में तरमीम को कर दिया गया। अतः समर्पित भूमि की मौका कब्जा स्थिति के अनुसार तरमीम दुरुस्ती करवानें हेतु यह आवेदन पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:46:15 IST
Reason: SelfAttested

2 **प्रार्थीगण** का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी संख्या 01 की ओर से नायब **तहसीलदार**(उपखण्ड कार्यालय) राज.पैरोकार उपस्थित हुए। विवादित भूमि की मौका जांच रिर्पोट **तहसीलदार** सिणधरी से तलब की गई।

3 उभयपक्ष की **बहस** सुनी गई। प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्य को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का खेत मौजा राजस्व ग्राम–भलखाडी, पटवार हल्का–पायला खुर्द में खेत खसरा संख्या 171 / 157 रकबा 14.0524 हैक्टेयर का आया हुआ है। मौके पर प्रार्थी का कब्जा काश्त अपने हिस्से की भूमि पर है जहा पर प्रार्थी के रहवासी मकान, ढाणिया, पानी का टांका और मन्दिर व टिन सेड आदि बने हुए है। कि प्रार्थी के द्वारा इसी खसरे में से चार बीघा भूमि का समर्पण राज्य सरकार के पक्ष में किया गया जिसका खसरा संख्या 156 / 116 रकबा 04–00 बीघा अर्थात 0.6472 हैक्टेयर जो नामान्तकरण संख्या 664 दिनाक–22–12–2021 को स्वीकृत किया गया और बाद में प्रार्थी के द्वारा उक्त समर्पण भूमि को कटाण मार्ग से जोड़ने के लिये अपने खसरा संख्या 157 / 116 मे से 0.0323 हैक्टेयर दिनांक 10–03– 2022 को समर्पण किया गया जिसका नामान्तकरण संख्या 682 दिनाक 30–03–2022 को स्वीकृत किया गया और नया खसरा संख्या 170 / 157 जारी किया गया। कि जो प्रार्थी के द्वारा चार बीघा भूमि का समर्पण राज्य सरकार के पक्ष में किया गया जो राजस्व रेकर्ड को आनलाईन करते वक्त उक्त खसरे की तरमीम को मौके व समर्पण पत्र में बताये गये नजरी नक्शे के अनुसार तरमीम को मौके पर बिना किसी प्रकार का नाप किये और मौके व कब्जा काश्त से अलग रुप में तरमीम को कर दिया गया है जिससे मौके पर प्रार्थी के लड़को के बने चार–पाच घर व प्रार्थी के द्वारा बनाया गया मन्दिर, टीन सेड आदि प्रभावित हो रहें है। प्रार्थी के द्वारा उक्त भूमि को राज्य सरकार के पक्ष समर्पण किया गया है जहा पर राज्य सरकार के द्वारा राजस्व ग्राम बनाया गया है जो ग्राम भलखाड़ी से नवीन राजस्व ग्राम राजव नगर पुरोहितान के नाम से है जिसका मुख्यालय उक्त खसरे में है और जहा पर राज्य सरकार के द्वारा अगर किसी प्रकार का नवीन कार्य प्रार्थी के तरमीम दुरस्त होने से पहले उक्त [illegible] निर्माण कार्य कर दिया जाता है तो प्रार्थी को भारी परेशानी व अपूर्णीय क्षति होगी अपना [illegible] को जारी रखतें हुए आगे ओर कथन किया कि तहसीलदार सिणधरी ने अपनी मौका जांच [illegible]पोर्ट में तरमीम दुरूस्ती करने की सिफारिश की गई है। जो तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार विवादित भूमि की लटढा नक्शा में तरमीम दुरूस्ती करवानें का आदेश फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:46:15 IST
Reason: SelfAttested

4 विप्रार्थी की ओर से राज.पैरोकार नायब तहसीलदार ने अपनी बहस में जाहिर किया,कि तहसीलदार

5.हमने उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,दस्तावेजात एवं मौका जांच रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया। जिसमें पाया प्रार्थी का खेत मौजा राजस्व ग्राम भलखाडी, पटवार हल्का–पायला खुर्द में खेत खसरा संख्या 171 / 157 रकबा 14.0524 हैक्टेयर का आया हुआ है। मौके पर प्रार्थी का कब्जा काश्त अपने हिस्से की भूमि पर है जहा पर प्रार्थी के रहवासी मकान, ढाणिया, पानी का टांका और मन्दिर व टिन शेड आदि बने हुए है। कि प्रार्थी के द्वारा इसी खसरे मे से चार बीघा भूमि का समर्पण राज्य सरकार के पक्ष में किया गया जिसका खसरा संख्या 156 / 116 रकबा 04–00 बीघा अर्थात 0.6472 हैक्टेयर जो नामान्तकरण संख्या 664 दिनाक 22–12–2021 को स्वीकृत किया गया और बाद मे प्रार्थी के द्वारा उक्त समर्पण भूमि को कटाण मार्ग से जोडने के लिये अपने खसरा संख्या 157 / 116 मे से 0.0323 हैक्टेयर दिनांक 10–03– 2022 को समर्पण किया गया जिसका नामान्तकरण संख्या 682 दिनाक 30–03–2022 को स्वीकृत किया गया और नया खसरा संख्या 170 / 157 जारी किया गया। कि जो प्रार्थी के द्वारा चार बीघा भूमि का समर्पण राज्य सरकार के पक्ष में किये जाने पर लट्ठा नक्शा में तरमीम एवं वर्तमान मौका स्थिति को दुरूस्त किये जाने हेतु तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थी का मौके पर कब्जा काश्त के विपरीत लटढा नक्शा में तरमीम हो रखी है,जो कि गलत तरमीम हो रखी है। जिसकी पुष्टि तहसीलदार सिणधरी की मौका जांच रिपोर्ट पत्रांक दिनांक 25.01.2023 से होता है,इस प्रकार प्रार्थी के मौके पर कब्जा काश्त से विपरीत तरमीम होनें के कारण प्रार्थी को अपूरणीय क्षति भी हो रही है,जबकि प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार ही राजस्व रिकॉर्ड नक्शा लटढा में समर्पित भूमि की तरमीम होनी चाहिए। ताकि राजस्व रिकॉर्ड की एकरूपता बनी रहें और तहसीलदार सिणधरी ने भी अपनी मौका जांच रिर्पोर्ट में मौका स्थिति के अनुसार तरमीम दुरूस्त करने की अनुशंषा की गई है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है,कि विवादित भूमि के खातेदारान का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड नक्शा लटढा में समर्पित भूमी की तरमीम नहीं हो रखी है। जो प्रार्थी मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार रिकॉर्ड में तरमीम दुरूस्त करवानें के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

6. लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम–भलखाड़ी के खेत खसरा संख्या 156 / 116, 170 / 157, 171 / 157 रकबा क्रमशः 0.6472, 0.0323, 14.0524 हैक्टेयर में समर्पित भूमी व मौके की स्थिति भूमि की विदयमान तरमीम निरस्त [illegible] जा[illegible] तहसीलदार सिणधरी की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 25.01.2023 के संलग्न प्रस्तावित नक्शा [illegible] अनुसार तरमीम दुरूस्त करने के आदेश पारित किये जातें हैं,उक्त नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहे[illegible]। तहसीलदार सिणधरी को तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम दुरूस्ती सुनिश्चित करनें हेतु आदेशित किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:46:15 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार)